न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 140/2022 जिला सीकर

1. रघुवीर पुत्र चूनाराम यादव
2. चोखाराम पुत्र चूनाराम यादव
3. गणपत पुत्र चूनाराम यादव
   समस्त जाति यादव, निवासी पाटन, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. केदार नाथ दीवान पुत्र श्री जगन्नाथ दीवान उम्र 67 जाति महाजन, निवासी दीवान जी की हवेली मेन बाजार पाटन, तहसील पाटन (पूर्व तहसील नीमकाथाना) जिला सीकर।

असल प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट्स

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, नीम का थाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

–प्रारूपिक रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर निर्णय दिनांक 10.10.2022 प्रकरण संख्या 245/2022 उनवानी दीवान बनाम भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथा व अन्य

उपस्थित–

1. श्री पवन पारीक , वकील अपीलान्ट
2. श्री शशि शेखर गौड, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक –31.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.10.2022 के खिलाफ दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 केदार नाथ दीवान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर में इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा नम्बर 485, 544, 545, 547, 550, 551, 552, 553, 554 कुल किता 10 कुल रकबा 3.55 हेक्टेयर स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमियों में खसरा नम्बर 485 रकबा 0.76 हेक्टेयर का सीमा ज्ञान तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 22.4.2022 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया। मौके पर सीमांकन न रहने से पडौसी काश्तकारों एवं अन्य व्यक्तियों की नजरें भूमि पर लगी है जिस कारण मौके पर सीमा का विवाद होने के खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के भूमि खसरा नंबर 485 रकबा 0.76 हेक्टेयर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.4.2022 के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाई जावें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी नं. 2 लगायत 4 मय अधिवक्ता के उपस्थित आये। अप्रार्थी नं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज कर निर्णित किया जाता है व प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 128

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

रा0भू0राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पाटन स्थित खसरा नम्बर 485 रकबा 0.76 हेक्टे0 की प्रार्थी खातेदार व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस लिखित में सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.04.2022 सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। साथ ही प्रार्थी खातेदार को भी पाबन्द किया जाता है कि पत्थरगढी के बाद किसी प्रकार की तारबन्दी आदि नहीं करें एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों के मकानात के रहवास, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। तहसीदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी करने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 10.10.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री रघुवीर पुत्र चूनाराम यादव वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी केदारनाथ द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 128 प्रस्तुत करने से पूर्व वाद के केदारनाथ बनाम जगदीश प्रसाद आदि मुकदमा नं. 453/2017 भूमि खसरा नम्बर 266, 484, 585, 486 के सम्बन्ध मे घोषणा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस सहायता के साथ प्रस्तुत किया कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम पाटन में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 266 में वादी की खातेदारी में रहें 0.76 हैक्टेयर के बाबत कायम किये गये खसरा नम्बर 485 रकबा 0.76 हैक्टेयर को वादी पुराने खसरा नम्बर 266 की उत्तर–पूर्वी कोने की वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 में वर्णित नक्शे के अनुसार आवश्यक तरमीम करा लेना का अधिकार है। उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र टी.आई. भी पेश की गई। जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से काउन्टर दावा व काउन्टर टी.आई. न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र टी.आई. में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश भी पारित है। प्रार्थी केदारनाथ को सब तथ्यों की जानकारी होते हुये भी गलत रूप से एकपक्षीय सीमाज्ञान बाला वाला पटवारी से अपने लाभ के लिये तैयार करवा कर गलत रूप से पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 कानून चलने योग्य नहीं है। मुकदमा केदारनाथ बनाम जगदीश में न्यायालय द्वारा मौके की वस्तुस्थिति मंगाये जाने हेतु दिनांक 18.07.2018 को गिदावर हल्का पाटन को कमीशनर नियुक्त किया हुआ है। जिसकी रिपोर्ट आदिनांक लम्बित है, जिसकी प्रार्थी केदारनाथ को पूरी जानकारी थी, परन्तु न्यायालय को मुगालते में रखते हुये यह प्रार्थना पत्र धारा 128 पेश किया है, जो खारिज योग्य है। सीमाओं का विवाद भी प्रार्थी केदारनाथ द्वारा दोनों दावों में तनकियात कायम होने के बाद दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के उपरान्त अन्तिम रूप से तय हो सकेगें। प्रार्थी केदारनाथ इन सब तथ्यों को जानता था, लेकिन दावा निर्णित होने से पूर्व ही यह आधारहीन प्रार्थना पत्र गलत एकपक्षीय सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर कानून के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत कर गलत रूप से अपने पक्ष में निर्णय कराने के उद्देश्य से एवं वाद को कानून रूप से चलने योग्य नहीं होने से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाये। सीमाज्ञान हमें बिना नोटिस दिए किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से समस्त तथ्य छुपाकर यह प्रार्थना पत्र 128 पेश किया गया है। जिसमें भूमि की पत्थरगढी चाह रहे हैं। उसी भूमि का स्वंय के द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती व घो णा के वाद स्वंय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर रखें हैं। उन्हीं दावों का अनुतोष अवैधानिक प्रार्थना पत्र के माध्यम से लेना चाहते हैं उक्त दावों में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

Scanned by CamScanner

काउण्टर क्लेम भी विचाराधीन है। अर्थात तनकियात कायम होकर वाद साक्ष्य दावों के निर्णय पर इस भूमि 485 की स्थिति का निर्णय हो सकेगा अतः जब खसरा नम्बर 485 की मौका स्थिति ही विवादित है तो पत्थरगढी किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.4.2022 में पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि खसरा नम्बर 485 प्रार्थी केदारमल के कब्जे में नहीं है, उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों ने मकानात बनाकर कब्जा कर रखा है, भूमि खसरा नंबर 485 का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नीमकाथाना में 2019 से विचाराधीन है। अतः पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र कतई चलने योग्य नहीं है प्रार्थी को बेदखली का वाद लाना चाहिए था पूर्व उक्त भूमि का जो मूल खसरा नम्बर था उसके चार खसरे नम्बर बन चुके हैं, जिसका नक्शा विचाराधीन दावा में पेशशुदा है, इसी मूल खसरा नंबर में दिनांक 12.11.75 को प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र भूमि खरीद की है एवं उसी दिन जरिये विक्रय पत्र हम अप्रार्थीगण ने भी भूमि खरीद की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र संपूर्ण तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से विधि विरूद्ध पेश किया है जो खारिज योग्य है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई गौर किये बिना त्वरित गति से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न दृष्टान्त भी पेश किये गये :–

(1) 2006 (1) आर.आर.टी. पेज 473 (2) 1995 आर.आर.डी. पेज 120
(3) 2012 (1) आर.आर.टी. पेज 520 (4) 2011 (2) आर.आर.टी. पेज 1264
(5) 2007 वॉल्यूम (2) आर.आर.टी. 1224 (6) आर.आर.टी. पेज 1111

6. रेस्पोंडेन्ट्स नं. 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तत्कालीन तहसील नीमकाथाना के भूमि ख.नं. 485, 544, 545, 546, 547, 550, 551, 552, 553, 554 कुल किता 10 कुल रकबा 3.55 हैक्टेयर के रूप में अवस्थित है जिसकी खातेदारी आवेदक के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि वर्णित खण्ड संख्या 1 प्रार्थना पत्र के भूमि के ख.नं. 485 रकबा 0.76 का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार के आदेश क्रमांक/भू.अ./06 दिनांक 30.11.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 22.4.2022 को मौके पर पहुंचा भूमियों की मौके पर पैमाईश की जाकर सीमाओं का निर्धारण कर आवेदन खातेदार को अवगत कराया गया एवं अपनी फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के यहां प्रस्तुत की है। मौके पर सीमांकन न रहने से पडौसी काश्तकारों एवं अन्य व्यक्तिओं की नजरे भूमि पर लगी जिसके कारण मौके पर सीमा का विवाद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तत्कालीन तहसील नीमकाथाना के भूमि ख.नं. 485 रकबा 0.76 हैक्टेयर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.04.2022 के अनुसार मौके पर पत्थरगढी कर सीमाज्ञान न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये गये। अपीलान्ट नं. 2 लगायत 4 मय अधिवक्ता के उपस्थित आये। अप्रार्थी नं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण नं. 2 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज कर निर्णित किया जाकर व प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 128 रा0भू0राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया गया कि राजस्व ग्राम पाटन स्थित खसरा नम्बर 485 रकबा 0.76 हेक्टे0 की प्रार्थी खातेदार व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस लिखित में सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.04.2022 सीमाचिन्ह कायम कर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

Scanned by CamScanner

पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। साथ ही प्रार्थी खातेदार को भी पाबन्द किया जाता है कि पत्थरगढी के बाद किसी प्रकार की तारबन्दी आदि नहीं करें एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों के मकानात के रहवास, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। तहसीदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी करने के आदेश पारित किये गये। सीमाज्ञान में क्या समस्या है ? मेरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। केवल खसरा की सीमा तय हो रही है, अधिकार तय नहीं हो रही है। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने एवं सींव को खुर्द बुर्द करने की नियत से श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 केदार नाथ दीवान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत सीमाज्ञान/पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर में इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम पाटन स्थित भूमि खसरा नम्बर 485, 544, 545, 547, 550, 551, 552, 553, 554 कुल किता 10 कुल रकबा 3.55 हेक्टेयर स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमियों में खसरा नम्बर 485 रकबा 0.76 हेक्टेयर का सीमाज्ञान तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 22.4.2022 को पटवारी हल्का द्वारा किया गया। मौके पर सीमांकन न रहने से पडौसी काश्तकारों एवं अन्य व्यक्तियों की नजरें भूमि पर लगी है जिस कारण मौके पर सीमा का विवाद होने के खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः राजस्व ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के भूमि खसरा नंबर 485 रकबा 0.76 हेक्टेयर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 22.4.2022 के अनुसार मौके पर पत्थरगढी करवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी नं. 2 लगायत 4 मय अधिवक्ता के उपस्थित आये। अप्रार्थी नं. 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी खारिज कर निर्णित किया जाता है व प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 128 रा0भू0राजस्व अधि0 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पाटन स्थित खसरा नम्बर 485 रकबा 0.76 हेक्टे0 की प्रार्थी खातेदार व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस लिखित में सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.04.2022 सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। साथ ही प्रार्थी खातेदार को भी पाबन्द किया जाता है कि पत्थरगढी के बाद किसी प्रकार की तारबन्दी आदि नहीं करें एवं वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर काबिज व्यक्तियों के मकानात के रहवास, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। तहसीदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी करने के आदेश पारित किये गये हैं। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. एक्ट उनवानी केदारनाथ दीवान बनाम भूमिधारी वगै0 प्रार्थना पत्र 128 रा.भू.रा. अधिनियम मुकदमा संख्या 245/2022 पेश किया। प्रार्थी/रेस्पों. 1 के प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को नोटिस जारी होने के पश्चात सभी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पक्षों को सूचना व सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दिनांक 10.10.2022 को पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये हैं। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3,4 रहे हैं। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक 6 दिनांक 30.11.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का ने सीमांकन करने हेतु दिनांक 22.04.2022 को मौके पर पहुंचकर खसरा नम्बर 526 गै.मु. चाह 468 गै0मु0 चाह को मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुये आवेदक की खातेदारी की भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 22.04.2022 को पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह विधिक प्रावधानों के तहत अपनी कृषि भूमि की पैमाइश एवं पत्थरगढी करा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपने विधिक अधिकारों के तहत् निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2022 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलकर्ता खारिज की जाती है। अतः अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 10.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/25

(असलम शेर खान)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner